अनुस्मारक-1

भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

कार्यालय आदेश

फा.सं. 8(4)/व्यक्तिशः आदेश/2022 दिनांक 14-03-2023

विषयः- राजभाषा नियम 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 8 (4) के अनुसार हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिन्दी में कार्य करने के लिए व्यक्तिशः आदेश जारी करना।

कृपया दिनांक 07-12-2022 के समसंख्यक कार्यालय आदेश का अवलोकन करें जिसके द्वारा हिंदी में प्रवीणता प्राप्त अधिकारियों/कर्मचारियों से निर्धारित प्रपत्र में सूचना भरवाकर राजभाषा अनुभाग को भिजवाने का अनुरोध किया गया था। उक्त सूचना अभी तक प्राप्त होना शेष है। संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उप समिति द्वारा दिनांक 27-02-2023 को संस्थान के राजभाषा निरीक्षण के दौरान हिंदी में प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिश: आदेश जारी करने का निदेश दिया गया है।

राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 10 (4) के अंतर्गत, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर के 80% से अधिक कार्मिको को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त होने के कारण इसे अधिसूचित किया जा चुका है। ऐसे अधिसूचित कार्यालय में राजभाषा नियम, 1976 (यथासंशोधित, 1987) के नियम 8 (4) के अनुसार, हिन्दी मे प्रवीणता प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना कार्यालयीन कार्य (टिप्पण, प्रारूप, इत्यादि) केवल हिन्दी मे ही करना अपेक्षित है। इसलिये संस्थान के हिन्दी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त सभी अधिकारियों/कर्मचारियों के आंकड़े एकत्रित कर किये जा रहे हैं।

अनुरोध है कि आप अपने विभाग/अनुभाग में तैनात सभी कर्मचारियों की हिन्दी भाषा से संबंधित जानकारी संलग्न प्रपत्र में पूरी तरह से भरवा कर दिनांक 20.03.2023 तक राजभाषा अनुभाग, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर भिजवा दें तथा इसकी सॉफ्ट कॉपी अपने अनुभाग की ई-मेल से राजभाषा अनुभाग की ई-मेल rajbhasha.cazri@icar.gov.in पर भिजवा दें। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में विभाग/अनुभाग में आने वाले सभी नए कर्मचारियों से भी यह प्रपत्र भरवा कर अधोहस्ताक्षरी को अवश्य भिजवाया जाये।

संलग्न: यथोपरि।

कृपया इसे प्राथमिकता दी जाये

(नवीन कुमार यादव)
उप निदेशक (राजभाषा)

वितरण:-

1. निदेशक के निजी सचिव, भाकृअनुप-काजरी जोधपुर
2. अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/खण्ड-द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठम्
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (वरि.ग्रेड)/लेखा नियंत्रक
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी-प्रथम/द्वितीय/वित्त एवं लेखाधिकारी-प्रथम/द्वितीय/
5. प्रशासन अनुभाग-प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम
6. अध्यक्ष, कृषि विज्ञान केन्द्र
7. प्रभारी पीएमई/प्रभारी एकेएमयू

भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर

हिन्दी में प्रवीणता/कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों की जानकारी

विभाग/अनुभागः----------

1. **नाम व पदनाम** :
2. **कर्मचारी कोड** :
3. **मातृ भाषा** :
4. **सेवानिवृत्ति की तिथि** :
5. **शैक्षिक योग्यता** :
6. **हिन्दी किस स्तर तक पढ़ी है (√ सही लगाएँ)** : **प्राथमिक/उच्च प्राथमिक मैट्रिक/स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य**
7. **हिन्दी माध्यम से प्राप्त शैक्षिक योग्यता (√ सही लगाएँ)** : **प्राथमिक/उच्च प्राथमिक मैट्रिक/स्नातक/स्नातकोत्तर/अन्य**
8. **क्या आपने अनिवार्य सेवाकालीन हिन्दी प्रशिक्षण** : **हाँ/नहीं**
9. **प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ प्राप्त किया है ?** :

नाम व पदनाम:
दिनांक सहित हस्ताक्षर:
मोबाइल/दूरभाष संख्या:

- **संबंधित विभाग/अनुभाग अधिकारी/प्रभारी के हस्ताक्षर:**
- **नाम व पदनाम:**
- **दिनांक:**
- **दूरभाष सं.:**
- **ई-मेल पता:**

. प्रवीणता	.. कार्यसाधक ज्ञान
हिन्दी में प्रवीणता का अर्थ है कि यदि किसी कर्मचारी ने - (क) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है या (ख) स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा के समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था; या (ग) यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैरू तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने हिन्दी प्रवीणता प्राप्त कर ली है।	हिन्दी में कार्यसाधक ज्ञान का अर्थ है कि (क) यदि किसी कर्मचारी ने - (I) मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उसके उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली हैं; या (II) केन्द्रीय सरकार की हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या, यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट हैं; या (III) केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है (ख) यदि वह इन नियमों में उपाबद्ध प्रारूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया हैय तो उसके बारे में यह समझा जायेगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।